



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjkh@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-13/2017-12/18 दिनांक : 19-09-2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची /
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा /
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची /
उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत विभागीय भवनों के नव निर्माण, चाहरदिवारी का निर्माण एवं सुसज्जिकरण हेतु कुल **रु0 338.052 लाख (तीन करोड़ अड़तीस लाख पांच हजार दो सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-21/2017-29/स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 14.09.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-21/2017- 68/आ0 व0प0 दिनांक 15.09.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-15-वन प्रबंधन सुविधायें योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 338.052 लाख (तीन करोड़ अड़तीस लाख पांच हजार दो सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी | 19S240601796150103 | 138.052 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601796150323 | 200.000 |
| कुल :- | | 338.052 |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796150103 एवं 19S240601796150323, है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

9

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के लिए तैयार प्राक्कलन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराकर, उसी अनुरूप राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे।
5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगा तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
9. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अप प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-13/2017-12/8 दिनांक- 19-09-17

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-13/2017-12/8 दिनांक- 19-09-17

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली वन प्रबंधन सुविधायें (जनजातीय क्षेत्र) के अंतर्गत विभागीय भवनों के चहारदिवारी निर्माण एवं जीर्णोद्धार

| (राशि लाख में) | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------|--|-----------------|--------|---------------------|--------|
| क्र० | प्रमण्डल का नाम | वन प्रक्षेत्र का नाम | स्थल एवं कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
| क राँची रीजन | | | | | | | |
| 1 | राँची वन प्रमण्डल, राँची | | प्रमण्डलीय कार्यालय में फ्लोर टाइल्स लगाना (2200 वर्गफीट) | 2.000 | 0.800 | 1.200 | 2.000 |
| | | | प्रमण्डलीय कार्यालय का सुसज्जीकरण कार्य (फाइल रखने एवं बैठने की व्यवस्था) | 8.000 | 3.200 | 4.800 | 8.000 |
| | | | अतिक्रमण से मुक्त काराई गई ललगुटवा वनभूमि की सुरक्षा हेतु सुरक्षा हेतु चहारदिवारी का निर्माण | 20.000 | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| | | | | 30.000 | 12.000 | 18.000 | 30.000 |
| योग :- | | | | | | | |
| 2 | सिमडेगा वन प्रमण्डल | | वन विश्रामागार, सिमडेगा के आउट हाउस का जिर्णोद्धार | 0.500 | 0.225 | 0.275 | 0.500 |
| | | | प्रमण्डलीय कार्यालय का विस्तारीकरण | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
| | | | प्रमण्डलीय कार्यालय में पानी की व्यवस्था | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
| | | | वन विश्रामागार सिमडेगा के आउट हाउस का जिर्णोद्धार | 0.500 | 0.225 | 0.275 | 0.500 |
| | | | वन भवन कैम्पस में साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैण्ड | 6.000 | 2.400 | 3.600 | 6.000 |
| | | | | 17.000 | 6.850 | 10.150 | 17.000 |
| | | | | 47.000 | 18.850 | 28.150 | 47.000 |
| योग :- | | | | | | | |
| राँची रीजन का योग :- | | | | | | | |
| ख वन्यप्राणी प्रभाग | | | | | | | |
| 1 | वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची | भवन निर्माण प्रक्षेत्र | वन भवन कैम्पस के सम्पूर्ण कार्यालय हेतु एक तड़ित चालक का निर्माण कार्य | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| | | | चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के आवास गृह संख्या-22 से 45 में डीप बोरिंग का पाईप एवं पम्प सहित | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| | | | वन भवन परिसर का विद्युतीकरण कार्य एल0ई0डी0 लाईट एवं गार्डेन लाईट के साथ | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| | | | वन पदाधिकारी आवास गृह कैम्पस में बिजली बत्ती लगाने का कार्य | 2.000 | 0.800 | 1.200 | 2.000 |
| | | | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड के कार्यालय कक्षों एवं कार्यालय सहित सम्पूर्ण नीचले तल्ला के जीर्णोद्धार कार्य-सिविल एवं प्लम्बरिंग कार्य सहित वर्क स्टेशन लगाने का कार्य | 22.000 | 8.800 | 13.200 | 22.000 |
| | | | फोरेस्ट स्टाफ कॉलोनी में जलापूर्ति हेतु पाईप लाईन की व्यवस्था | 2.000 | 0.800 | 1.200 | 2.000 |
| | | | वन पदाधिकारी फ्लैट ब्लॉक बी0 में लगे लिफ्ट का ओटोसिस्टम | 1.800 | 0.810 | 0.990 | 1.800 |
| | | | वन पदाधिकारियों का सरकारी आवास गृह सी0 ब्लॉक में 6 आवास गृह का बिजली खम्भा से 35MM का 4 कोर केबल सहित वाईस चार 200 एम्पीयर एवं मेन सुईच सहित अन्य कार्य कराने का कार्य | 0.400 | 0.180 | 0.220 | 0.400 |
| | | | वन विभागीय आवास गृह कॉलोनी कडरू में आवास संख्या सी0/69 से सी0/76 तक पी0सी0सी0 कार्य पहुंच पथ का निर्माण एवं सीढ़ी रुम में ग्रील का निर्माण कार्य | 0.900 | 0.405 | 0.495 | 0.900 |
| | | | | | | | |

| क्र0 | प्रमण्डल का नाम | वन प्रक्षेत्र का नाम | स्थल एवं कार्य का नाम | | | | प्राक्कलित राशि | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
|------|-----------------|----------------------|---|--|--|--|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | वन पदाधिकारियों के सरकारी आवास गृह संख्या सी0-1 से सी0-6, बी0-1 से बी0-6, ए0-1 से ए0-8 सहित बंगला संख्या-3, 5, 6, 7 सहित 24 आवास गृह का कूड़ा ट्रैक्टर द्वारा फेंकने का खर्च वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 50000.00 प्रति माह की दर से | | | | 1.200 | 0.480 | 0.720 | 1.200 |
| | | | तृतीय वार्षिक कर्मचारी आवास गृह संख्या सी0 05.06.07.09.11.12.14.15.16.18 24.25.27.28.31.32.33.34.36.37.39.40.42.43.44.45.46, 48.49.50.51.54.59.60 कुल 34 आवासों में विशेष मरम्मती कार्य | | | | 28.240 | 11.296 | 16.944 | 28.240 |
| | | | तृतीय वार्षिक कर्मचारी आवास गृह संख्या सी0 13.17.21.22.26.27.29.30.32.33.34.35.36, 38.41.47.52.53.55.56.58.61.62.63.64.65.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77 (कुल 37आवासों में सामान्य मरम्मति कार्य 0.45 लाख रु0 प्रत्येक आवास गृह) सी0 57 के लिए आवास मरम्मति एवं चहारदिवारी (0.90 लाख) तथा सी0 66 आवास मरम्मति एवं बथरूम की विशेष मरम्मति (1.45 लाख) | | | | 19.000 | 7.600 | 11.400 | 19.000 |
| | | | वन भवन के प्राणण में पेवर्स ब्लॉक | | | | 9.772 | 3.909 | 5.863 | 9.772 |
| | | | वन पदाधिकारी अवास गृह संख्या ए0 05 अवास में विशेष मरम्मती कार्य | | | | 4.200 | 1.680 | 2.520 | 4.200 |
| | | | राँची स्थित वन विभागीय पदाधिकारी आवासों में आवश्यकतानुसार सामान्य / विशेष मरम्मति का कार्य | | | | 40.886 | 16.354 | 24.532 | 40.886 |
| | | | राँची स्थित वन विभागीय कार्यालयों की मरम्मति का कार्य | | | | 39.254 | 15.702 | 23.552 | 39.254 |
| | | | चतुर्थ वार्षिक कर्मचारियों के अवास गृह संख्या पी 28 से 33 कुल 06 अवासों में सामान्य मरम्मती कार्य प्रति 0.35 लाख रु0 | | | | 2.100 | 0.840 | 1.260 | 2.100 |
| | | | तृतीय वर्ग के नवनिर्मित अवास गृह संख्या 79.80.81.82 में छिड़की में जाती लगाने का कार्य कुल 04 अवासों में प्रति 0.40 लाख रु0 | | | | 1.600 | 0.640 | 0.960 | 1.600 |
| | | | चतुर्थ वार्षिक कर्मचारी के नवनिर्मित अवास गृह संख्या पी 34 से पी 45 में बालकोनी में प्रीत, सीढ़ी से रुम में जाने हेतु कॉरीडोर में दरवाजा एवं हेडरूम में दरवाजा लगाने का कार्य 12 अवास हेतु प्रति 0.30 लाख रु0 प्रत्येक | | | | 3.600 | 1.440 | 2.160 | 3.600 |
| | | | फॉरेस्ट स्टफ कॉलोनी में जलापूर्ति हेतु पाईप लाईन की व्यवस्था | | | | 2.000 | 0.800 | 1.200 | 2.000 |
| | | | बी0 ब्लाक में पानी एवं बिजली की मरम्मती संबंधी कार्य के लिए | | | | 0.600 | 0.240 | 0.360 | 0.600 |
| | | | वन भवन परिसर में 2 मोटर साईकल सेड का निर्माण कार्य 250000.00 प्रति के दर से | | | | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
| | | | वन पदाधिकारी अवास गृह संख्या ई0 01 से ई0 06 तक में छिड़की जाती लगाने का कार्य 0.30 लाख | | | | 1.800 | 0.720 | 1.080 | 1.800 |
| | | | वन पदाधिकारी अवास गृह संख्या ई0 01 से ई0 06 तक में जाती का दरवाजा बनाने का कार्य 5 दरवाजा प्रत्येक आवास 2000.00 रु0 | | | | 0.605 | 0.242 | 0.363 | 0.605 |
| | | | वन भवन में पानी एवं बिजली की मरम्मती कार्य,ब्लॉक "C" में शेष 2000 वर्गफीट भिटरी टाईल्स लगाने का कार्य | | | | 3.000 | 1.200 | 1.800 | 3.000 |
| | | | वन पदाधिकारियों के सरकारी अवास गृह संख्या D/5 एवं D/6 में पेवर्स टाईल्स लगाने का कार्य | | | | 4.000 | 1.600 | 2.400 | 4.000 |

19/11



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-13/2017/1218

दिनांक - 19-Sep-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययम पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|--|
| 1 | S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA | 65166 | DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA | 1,200,000.00 रुपये बारह लाख |
| 2 | S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA | 65167 | SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD | 685,000.00 रुपये छः लाख पचयासी हजार |
| 3 | S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA | 65168 | DRNFWL049 KAMLESH PANDEY. IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI | 8,193,800.00 रुपये इक्क्यासी लाख तिरनावे हजार आठ सौ |
| | | | | 10,078,800.00 |

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड अठहत्तर हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. DEPT. SECRETARY, RANCHI

| क्रमांक | विषय कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्यय पदा. | आवंटित राशि |
|---------|---|-----------|---|--|
| 4 | S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme | 65169 | DRNFWL009 SMT.SMITHA PANKAJ IFS रुपये सैतीस लाख छब्बीस हजार चार सौ DY.CF.TRAINING RANCHI | 3,726,400.00 |
| | State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA | | | |
| 5 | S 19 240601796150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | 65171 | DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA | 1,800,000.00 रुपये अठारह लाख |
| | State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA | | | |
| 6 | S 19 240601796150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | 65172 | SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD | 1,015,000.00 रुपये दस लाख पंद्रह हजार |
| | State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA | | | |

6,541,400.00

योग:

16,620,200.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड छछठ लाख बीस हजार दो सी



(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. P. S. DIVAN, RANCHI

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|---|-----------|--|--|
| 7 | S 19 240601796150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | 65173 | DRNFWL049 KAMLESH PANDEY. IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI | 12,251,900.00 रुपये एक करोड बाइस लाख इकावन हजार नौ सौ |

State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)
Central Scheme : NA

| | | | | |
|---|---|-------|--|--|
| 8 | S 19 240601796150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | 65174 | DRNFWL009 SMT.SMITHA PANKAJ IFS DY.CF.TRAINING RANCHI | 4,933,100.00 रुपये उनचास लाख तैतीस हजार एक सौ |
|---|---|-------|--|--|

State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)
Central Scheme : NA

योग: 17,185,000.00
क्रमिक योग: रुपये तीन करोड अडतीस लाख पोंच हजार दो सौ 33,805,200.00


(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. P. & S. DIV. IN CHARGE